न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –34 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016 / 00091

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

पृथ्वीराज आत्मज धूलीलाल जाति कुल्मी निवासी जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 13 / 08 / 2024

1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 3467 / 2570 रकबा 0.16 हे0 भूमि दिनांक 11.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।

2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री चन्दन गुप्ता का वकालतनामा दिनांक 06.09.2016 को पेश हुआ किन्तु वकील अप्रार्थी द्वारा न तो जवाब प्रस्तुत किया ओर ना ही उपस्थित हो रहे है । अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी बावजूद सूचना के निरन्तर अनुपस्थित रहने से जवाब बन्द किया जाकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 3467 / 2570 रकबा 0.16 हे0 भूमि दिनांक 11.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जा रही है इसी कारण अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त की पुष्टि में न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये ओर ना ही जवाब प्रस्तुत किया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 3467/2570 रकबा 0.16 हे0 भूमि दिनांक 11.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । मौके पर आवंटित भूमि खसरा 3467/2570 रकबा 0.16 हे0 पर आवंटी का कब्जा नहीं है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 3467/2570 रकबा 0.16 हे0 भूमि का दिनांक 11.06.2002 को अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर